<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक-227 / 2010</u> संस्थित दिनांक-22.03.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—गढ़ी, तहसील—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — <u>अभियो</u>

// विरूद्ध //

- 1. अमरसिंह पिता स्व. दयाराम मरावी जाति गोंड, उम्र 59 वर्ष,
- 2. सुक्कलसिंह पिता स्व. महाजन सिंह जाति गोंड, उम्र 51 वर्ष,
- 3. धनसिंह पिता समारूसिंह जाति गोंड, उम्र 33 वर्ष,
- 4. अंतराम पिता बटरूसिंह जाति गोंड, उम्र 38 वर्ष,
- 5. शिवप्रसाद सिंह पिता प्रतातसिंह धुर्वे जाति गोंड, उम्र 26 वर्ष,
- 6. राजूसिंह धुर्वे पिता रामसिंह धुर्वे जाति गोंड, उम्र 28 वर्ष,
- 7. किसनसिंह धुर्वे पिता रामसिंह धुर्वे जाति गोंड, उम्र 30 वर्ष,
- 8. बुधराम मेरावी पिता घुरका मेरावी जाति गोंड, उम्र 43 वर्ष,
- 9. बिसनु धुर्वे पिता रामसिंह धुर्वे जाति गोंड, उम्र 33 वर्ष, सभी आरोपीगण निवासी—खिरसाड़ी थाना गढ़ी जिला बालाघाट(म.प्र.)

	-			-	_	_	_	3	<u>भार</u>	ोपी	गण	
	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_
			-									

गुलाबसिंह धुर्वे पिता धनसाय धुर्वे जाति गोंड, उम्र—41 वर्ष, निवासी खिरसाड़ी थाना गढ़ी जिला बालाघाट(म.प्र.) — — — — — <u>मृत आरोपी</u>

// <u>निर्णय</u> //

<u>(आज दिनांक-03 / 06 / 2014 को घोषित)</u>

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—448, 147, 427/34 के तहत आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक—19.01.2010 को समय करीब 02:00 बजे स्थान ग्राम खिरसाड़ी अन्तर्गत थाना गढ़ी में एकराय होकर प्रार्थी धरमिसंह धुर्वे के घर का आंगन जो मानव निवास अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित कर किया एवं विधि विरुद्ध जमाव के सदस्थ थे, जिसका सामान्य उद्देश्य प्रार्थी धरमिसंह धुर्वे को क्षति/उपहित कारित करना था, उस जमाव के सदस्य होकर, सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल प्रयोग कर किया एवं महावीर धुर्वे की मोटरसाइकिल क्मांक—सी.सी.04/8958 (हीरो होण्डा), ह्पलाल की मोटरसाइकिल क्मांक—एम.पी. 50/एम.सी. 0750 (बजाज डिस्कवर),

तोकल सिंह कुसरे की मोटरसाइकिल कमांक—एम.पी.20 / के.सी.8190 (बजाज बॉक्सर) को लाठी, पत्थर से कुचल कर / तोड़—फोड़ कर, उन्हें पचास रूपये से अधिक की रिष्टी कारित की।

- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि ग्राम खिरसाड़ी में 2— दिनांक-19/01/2010 को रात्रि 8 बजे आरोपीगण ने प्रार्थी धरमसिंह धूर्वे के घर के आंगन में रखी महावीर धुर्वे की मोटरसाइकिल क्रमांक—सी.सी.04/8958 (हीरो होण्डा), हुपलाल की मोटरसाइकिल क्रमांक-एम.पी.50 / एम.सी.0750 (बजाज डिस्कवर), तोकलसिंह कुसरे की मोटरसाइकिल कमांक-एम.पी.20 / के.सी.8190(बजाज बॉक्सर) को आरोपीगण ने लाठी तथा पत्थर से तोड-फोड कर कुचल दिया तथा प्रार्थी द्वारा मना किये जाने पर प्रार्थी को अश्लील शब्द उच्चारित किये तथा सुबह तक मारने की धमकी दिये, जिस कारण प्रार्थी अपने घर के अंदर से डर कर बाहर नहीं निकला। प्रार्थी धरमसिंह के द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गढी में की गयी, जिस पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक-1/10 अन्तर्गत धारा 448, 147, 148, 149, 427 का मामला पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्घ की गई। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये, क्षतिग्रस्त वाहन को जप्तकर, नुकसानी पंचनामा तैयार किया गया, आरोपीगण से लाठीयाँ जप्त कर, तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 3— आरोपीगण को भा.दं.वि. की धारा—448, 147 427/34 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है किया। विचारण के दौरान आरोपी गुलाबिसंह धुर्वे के फौत होने से उसके विरुद्ध विचारण समाप्त किया गया। आरोपीगण ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।
- 4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:--
 - 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—19.01.2010 को समय करीब 02:00 बजे स्थान ग्राम खिरसाड़ी थाना गढ़ी अन्तर्गत एकराय होकर अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर, प्रार्थी धरमसिंह धुर्वे के घर का आंगन जो मानव निवास अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया?
 - 2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर विधि विरूद्ध जमाव के सदस्थ थे, जिसका सामान्य उद्देश्य प्रार्थी धरमसिंह धुर्वे को क्षति/उपहित कारित करना था, उस जमाव के सदस्य होकर, सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल प्रयोग किया?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में महावीर धुर्वे की मोटरसाइकिल कमांक—सी.सी.04/8958 (हीरो होण्डा), हूपलाल की मोटरसाइकिल कमांक—एम.पी.50/एम.सी.0750 (बजाज डिस्कवर), तोकलिसंह कुसरे की मोटरसाइकिल कमांक—एम.पी.20/के.सी.8190 (बजाज बॉक्सर) को लाठी, पत्थर से कुचल कर/तोडफोड़ कर, उन्हें पचास रूपये से अधिक की रिष्टी कारित की ?

fopkj.kh; fcUnq dk ldkj.k fu"d"kZ :-

- महावीर(अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि वह आरोपीगण को पहचानता है तथा प्रार्थी धरमसिंह को भी पहचानता है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व ग्राम खिरसाडी की शाम 7:00 बजे करीब की है, वह उस समय अंगार ताप रहा था और उसके साथ में तोपसिंह, मंगलसिंह, धरमसिंह और उसकी पत्नि, उसके परिवार के लोग बैठकर अंगार ताप रहे थे. तभी आरोपीगण आये उनके साथ में लठ भी थी, उन लोगो ने बोले मार डालेंगे तो वे लोग डर के मारे घर से नहीं निकले तब आरोपीगण ने तीन गाडी को पत्थर, डंडे से कुचल दिये। उसके बाद आरोपीगण चले गये। फिर सुबह उन लोगो ने रिपोर्ट किये थे। पुलिस वाले घटना स्थल पर आये थे, वहाँ पर तीनों गाडी को जप्त कर ले गये थे। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-15 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण से कोई जप्ती नहीं किये थे। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-10 से लगायत प्रदर्श पी-13 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण के साथ लगभग पचास लोग थे. उक्त घटना में उसकी गाडी क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसके कागज उसने पुलिस को दिया था और वह गाडी चलाने योग्य न होने से अपने घर नहीं ले गया। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथनों का खण्डन महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने इस तथ्य की पृष्टि की है कि घटना के समय आरोपीगण ने उसकी स्वामित्व की मोटरसाइकिल को तोड-फोडकर उसे नुकसानी कारित की थी।
- 6— मंगलसिंह (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि वह आरोपीगण को जानता है तथा प्रार्थी धरमसिंह तथा हूपलाल और तोकलसिंह को भी जानता है। घटना लगभग 4 वर्ष पूर्व ग्राम खिरसाड़ी, रात के 7—8 बजे की है। घटना दिनांक को वे लोग मोतीनाला से आ रहे थे। प्रार्थी धरमसिंह उसके पहचान का था, उन्हे रास्ते में मिला और उसे साथ में चलने बोले तो वह उन लोगों के साथ आ गया था। प्रार्थी मोतीनामा में मिला था, धरमसिंह सायकल से आ रहा था, सायकल को धरमसिंह ने किसी के यहाँ छोड़ दिया था। वे 3—4 लोग थे और धमरसिंह के यहाँ आग तापने लगे थे। उन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल को धरमसिंह के आंगन में रखे थे, इतने में आरोपीगण आये और गाली देने लगे, आरोपीगण गन्दी—गन्दी गालियाँ दे रहे थे। आरोपीगण मारो—पीटो कहने लगे, वे लोग डर गये थे। आरोपीगण गाडी में लाठी से तोड़—फोड़ करने लगे थे। वे लोग डर के मारे घर से नहीं निकले और इधर—उधर भाग गये थे। उसने घटना होते देखा था। आरोपीगण ने तीनों गाडी को तोड़—फोड़

किये थे। एक गाडी डिस्कवर का नंबर 750 था। उसे दो अन्य गाडियों के नंबर याद नहीं है। साक्षी के कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।

तोकसिंह(अ.सा.६) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि वह 7— आरोपीगण को जानता है तथा प्रार्थी धरमसिह और रूपसिंह को भी जानता है। घटना लगभग 2 वर्ष पूर्व ग्राम खिरसाड़ी, रात 7-8 बजे की है, घटना दिनांक को वह मोतीनामा गया था. वहाँ से लौटते समय मोतीनामा में धरमसिंह मिला था। धरमसिंह अपने ससूराल से आ रहा था। फिर उसने उसे अपने साथ मोटरसाइकिल से चलने बोला था, धरमसिंह उनके साथ आ गया गया और वे लोग धरमसिंह के घर गये थे और गाड़ी बाहर खड़े कर के अंदर आग ताप रहे थे। उसके आधा घंटे बाद आरीीपगण आये और बोले कि किसी गाडी है। आरोपीगण गाडी को डंडे से तोड़-फोड करने लगे थे। घटना स्थल पर तीन गाडी थी, जिसमें से एक गाडी उसकी थी और दो गाडी गांववालों की थी। धमरसिंह निकला और बोला कि क्यों आये हो, क्यों तोड-फोड कर रहे हो तो आरोपीगण उसे ही मारपीट करने लगे थे। आरोपीगण ने पत्थर से गाडीयों को तोड-फोड किये थे, जिससे गाडियों को नुकसान कारित हुआ था। उक्त घटना के समय वे लोग घर के अंदर ही थे। उसकी गाडी का नंबर एम.पी.20 / के.सी.8190 है, अन्य गाडियों का नंबर उसे याद नहीं है। साक्षी के कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने इस तथ्य की पृष्टि की है कि घटना के समय आरोपीगण ने उसकी स्वामित्व की मोटरसाइकिल को तोड-फोडकर उसे नुकसानी कारित की थी।

8— धरमिसंह(अ.सा.७) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है, कि आरोपीगण को नहीं जानता। घटना दिनांक—19 जनवरी 2010 की रात के 9:00 बजे की है, वह अपने घर था उसे चुनाव की भीड़ दिखाई दी तो उसने डर के कारण दरवाजा बंद कर दिया और फिर सुबह ही दरवाजा खोला था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त घटना के समय वह अपनी मोटरसाइकिल से मोतीनाला आया था। साक्षी ने इस तथ्य की जानकारी न होना व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने आंगन में खड़ी तीन मोटरसाइकिल को पत्थर से व लाठी से कुचल दिया था। साक्षी ने उसके द्वारा लिखायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—16 से भी इंकार किया है। साक्षी ने पुलिस द्वारा की गई जप्ती कार्यवाही प्रदर्श पी—15 एवं मौका नक्शा प्रदर्श पी—17 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखायी और उसने किसी को मोटरसाइकिल तोड़—फोड़ करते नहीं देखा। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं फरियादी होने के बावजूद भी अभियोजन मामले का अपनी साक्ष्य में महत्वपूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया है।

9— देवकरण (अ.सा.11) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है, कि वह दिनांक—23.01.2010 को थाना गढ़ी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी धरमसिंह ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसकी रिपोर्ट पर उसके द्वारा अपराध कमांक—1/10, धारा—448, 147, 148, 149, 427 भा.द.वि. का प्रकरण कायम किया गया था, उसके द्वारा प्रथम सूचना प्रदर्श पी—16 लेख की गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—16 झूठी दर्ज करायी गई है। इस साक्षी के द्वारा मामलें में दर्ज प्राथमिकी को प्रमाणित किया है। उक्त प्राथमिकी लिखाने वाले फरियादी धरमसिंह ने अपनी साक्ष्य में उक्त रिपोर्ट उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किया जाने का समर्थन नहीं किया है। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट सारभूत साक्ष्य नहीं होती, बल्कि इसका उपयोग मामले में प्रस्तुत विरोधाभाष एवं लोप के खण्डन हेतु किया जाता है। ऐसी दशा में फरियादी धरमसिंह के द्वारा उक्त रिपोर्ट का समर्थन न किये जाने पर भी अन्य महत्वपूर्ण साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का मामला प्रमाणित हो सकता है।

अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजकुमार (अ.सा.८) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है, कि वह दिनांक-23.01.2010 को पुलिस थाना गढी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-01/10, धारा-448, 147, 148, 149, 427 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था। उसने विवेचना के दौरान घटना स्थल पर जाकर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-17 धरमसिंह की निशानिदेही पर तैयार किया था. जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को धरमसिंह के बयान उसके बताये अनुसार लेख किया था। उसके द्वारा उक्त दिनांक को मोटरसाइकिल क्रमांक-सी.जी.04/8958, एम.पी.50/एम.सी.0750, एम.पी. 20 / के.सी.8190 को तोड़-फोड़ कर क्षति बाबत् नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-14 तैयार किया गया था, जिस पर हस्ताक्षर है तथा प्रार्थी एवं साक्षियों के भी हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी के आंगन से साक्षियों के समक्ष क्षतिग्रस्त तीनों मोटरसाइकिल को जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-15 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक-24.01.2010 को झडीलाल, लिखनलाल एवं दिनांक-25.01.2010 को लाहरू. महावीर, तोकसिंह, मंगलसिंह एवं दिनांक-20.03.2010 को रूपलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक-25.01.2010 को आरोपी अमरसिंह से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-10 के अनुसार बांस की लाठी जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है तथा आरोपी अमरसिंह को साक्षियों के समक्ष गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार गिरफतार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक-28.01.2010 को आरोपी अंतराम से एक बांस की लाठी साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-11 के अनुसार, आरोपी गुलाबसिंह धुर्वे से एक बांस की लाठी जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-12 के अनुसार, आरोपी किशनसिंह से जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-13 के अनुसार एक बांस की लाठी जप्त किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी किशनू, अंतराम, सुक्कलसिंह, बुधराम, गुलाबसिंह, किशनसिंह को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी-2 से लगायत प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक-30.01.2010 को आरोपी शिवप्रसाद को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—8 तैयार किया था, दिनांक 24.02.2010 को आरोपी धनसिंह, दिनांक 20.03.2010 को आरोपी राजू को क्रमशः गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—9 एवं प्रदर्श पी—19 के अनुसार गिरफतार किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी द्वारा मोटरसाइकिल को की गई तोड़—फोड़ में हुई क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल की फोटो चालान के साथ प्रकरण में उसके द्वारा संलग्न किया गया है। साक्षी ने समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में मामले में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

- 11— कमलदास(अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। आरोपीगण ग्राम खिरसाड़ी के है वह भी उसी ग्राम का रहने वाला है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी अमरिसंह, बिसन धुर्वे, अंतराम बट्टी, सुखलिसंह, बुधराम मरावी, गुलाबिसंह धुर्वे, किशनिसंह धुर्वे, शिवप्रसाद धुर्वे एवं आरोपी धनिसंह को गिरफतार नहीं किया था। गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श पी—1 से लगायत प्रदर्श पी—9 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी अमरिसंह से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी, जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—10 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी अंतराम, गुलाबिसंह एवं किशनिसंह से कोई जप्ती कार्यवाही नहीं की थी, जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—11 से लगायत प्रदर्श पी—13 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष प्रदर्श पी—14 का नुकसानी पंचनामा तैयार नहीं किया था, लेकिन उस पर उसके हस्ताक्षर है। इस साक्षी के द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया गया है।
- 12— रूपलाल (अ.सा.10) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है, कि वह आरोपीगण को पहचानता है। वह बाजघोंदी का रहने वाला है। वह फरियादी धरमिसंह को पहचानता है। घटना करीब शाम 7:00 बजे की है, वे लोग धरमिसंह के घर में बैठे थे, तभी आरोपीगण आये और धरमिसंह के घर में खड़ी मोटरसाइकिल को कुचल दिये थे। मोटरसाइकिल महावीर, तोपिसंह व उसकी थी। घटना के समय अमरिसंह के साथ 10—15 लोग थे, बाकी सभी लोगों के नाम वह नहीं बता सकता, क्योंकि घटना के समय अंधेरा हो गया था। उसे पता नहीं है कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। पुलिस ने पूछताछ की थी, जिस पर उसने घटना की जानकारी दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय घर के अंदर था, इसलिए वह नहीं देख पाया कि मोटरसाइकिल को किन लोगों ने क्षतिग्रस्त किया था। यद्यपि साक्षी ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि उसने घटना के समय आरोपीगण को हाथ में डंडे रखे हुए आते हुए देखा था और घटना के समय तीन मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुई थी। इस प्रकार साक्षी के कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।
- 13— झडीलाल(अ.सा.2), लिक्खन(अ.सा.3), लाहरू धुर्वे (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि वे आरोपीगण को जानते है। उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। साक्षीगण को उनका पुलिस बयान पढ़कर सुनाये जाने पर पर उन्होनें ऐसा बयान नहीं देना व्यक्त किया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है

कि वह आरोपीगण से अच्छे संबंध एवं उसके गांव के होने के कारण वह उसे बचाने के लिए सही बात नहीं बता रहा है। साक्षीगण ने अभियोजन मामले का अपनी साक्ष्य में किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

अभियोजन की ओर से फरियादी धरमसिंह (अ.सा.र) ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है किन्तु अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य महत्वपूर्ण साक्षी महावीर(अ.सा.4), मंगलिसंह (अ.सा.5) व तोकिसंह (अ.सा.6) ने अभियोजन मामले का इस सीमा तक समर्थन किया है कि उनके सामने घटना के समय आरोपीगण ने तीन मोटरसाइकिल तोड-फोडकर कर नुकसानी कारित की। उक्त तीनों क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल के कथित स्वामी महावीर, तोकसिंह एवं हुपलाल के स्वामित्व के दस्तावेज अभियोजन की ओर से पेश नहीं किये गये है। यद्यपि महावीर (अ.सा.4) एवं तोकसिंह (अ.सा.६) ने अपनी साक्ष्य में उनकी मोटरसाइकिल आरोपीगण के द्वारा क्षतिग्रस्त करने के कथन किये है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है, जबकि हुपलाल की साक्ष्य अभियोजन की ओर से नहीं करायी गई है और न ही उसकी कथित मोटरसाइकिल के स्वामित्व के दस्तावेज पेश किये गये है। अभियोजन की ओर से उक्त साक्षीगण ने कथित स्वामी के रूप में उनकी मोटरसाइकिल की कीमत का उल्लेख अपनी साक्ष्य में नहीं किया गया है और न ही नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-14 में कथित क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल के नुकसान का आंकलन किया गया है। ऐसी दशा में उक्त तीनों मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त होने की साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित है, कि आरोपीगण ने मोटरसाइकिल के नुकसानी कारित की थी।

15— भारतीय दण्ड संहिता की धारा 425 के अंतर्गत रिष्टि को परिभाषित किया गया है जिसके अंतर्गत जो कोई इस आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए कि, वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है, जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षिति कारक प्रभाव पड़ता है, वह 'रिष्टि' करता है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि रिष्टि अपराध के लिए आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि, या नुकसान कारित करने का आशय रखते हो। यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या वह यह संभाव्य जानता है कि वह किसी संपत्ति को क्षिति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं सदोष हानि या नुकसान कारित करे। इस प्रकार इस मामले में तीनों क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल के वास्तविक स्वामी के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य पेश न होने पर भी यह तथ्य स्पष्ट प्रमाणित है कि उक्त मोटरसाइकिल को तोड़—फोड़ कर आरोपीगण ने रिष्टि कारित की है।

16— मामले में तैयार मौका नक्शा प्रदर्श पी—17 में कथित घटना स्थल खुले स्थान के रूप में दर्शाया गया है। अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी ने यह स्पष्ट रूप से अपनी साक्ष्य में प्रकट नहीं किया है कि कथित घटना आरोपीगण के द्वारा

संपत्ति की अभिरक्षा वाले या मानव निवास के उपयोग वाले स्थान में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कारित किया। सम्पूर्ण साक्ष्य में यह प्रकट होता है कि घटना स्थल वाला भाग खुला आंगन था, जिसका उपयोग मानव निवास या संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग हेतु नहीं किया जाता था। इस प्रकार अभियोजन की ओर से घटना के समय आरोपीगण के विरूद्ध आपराधिक गृह अतिचार कारित करने का तथ्य प्रमाणित नहीं किया गया है।

- 17— आरोपीगण के द्वारा घटना के समय पाँच से अधिक व्यक्ति का विधि विरुद्ध जमाव का गठन करते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में लाठी व पत्थर से हमला करते हुए घर के सामने रखी हुई मोटरसाइकिल को तोड़—फोड़ कर बल एवं हिंसा का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार आरोपीगण उक्त जमाव के सदस्य होते हुए बलवा करने के अपराध के दोषी होना प्रमाणित है।
- 18— प्रकरण में सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपीगण ने फरियादी धरमसिंह धुर्वे के घर का आंगन जो मानव निवास अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया। अभियोजन ने युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित किया है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में विधि विरूद्ध जमाव के सदस्थ थे, जिसका सामान्य उद्देश्य प्रार्थी धरमसिंह धुर्वे को क्षति/उपहित कारित करना था, उस जमाव के सदस्य होकर, सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल प्रयोग किया एवं मोटरसाइकिल कमांक—सी.सी.04/8958 (हीरो होण्डा), मोटरसाइकिल कमांक—एम.पी.50/एम.सी. 0750(बजाज डिस्कवर), मोटरसाइकिल कमांक—एम.पी.20/के.सी.8190 (बजाज बॉक्सर) को लाठी, पत्थर से कुचल कर/तोडफोड़ कर, पचास रूपये से अधिक की रिष्टी कारित की। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 448 के अन्तर्गत दोषमुक्त कर शेष अपराध भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 147, 427/34 के अन्तर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- 19— आरोपीगण को मामले की प्रकृति में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को सुने जाने हेतु निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

पश्चात्:-

20— आरोपीगण व उनके अधिवक्ता को दण्ड़ के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाकर छोडा जावे।

21— आरोपीगण के द्वारा मामले में वर्ष 2010 से विचारण का सामना किया जा रहा है, जिसमें आरोपीगण नियमित रूप से उपस्थित होते रहे है। आरोपीगण के विरूद्ध पूर्व किसी अपराध में दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति के अनुसार आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दिण्डत किए जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव प्रत्येक आरोपी को निम्नानुसार दिण्डत किया जाता है:—

धारा	कारावास की	अर्थदंड	व्यतिक्रम की दशा में
	सजा		कारावास
१४७ भा.दं.वि.	_	500 / —रूपये	एक माह का सादा कारावास
427 / 34 भा.दं.वि.	_	1000 / —रूपये	एक माह का सादा कारावास

- 22— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपीगण प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहे है, उक्त के संबंध में धारा 428 द.प्र.स के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जाये।
- 23— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति बांस की लाठीयाँ मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नियमानुसार नष्ट की जावें तथा जप्तशुदा क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल क्रमांक—सी.सी. 04/8958 (हीरो होण्डा), मोटरसाइकिल क्रमांक—एम.पी.50/एम.सी.0750(बजाज डिस्कवर), मोटरसाइकिल क्रमांक—एम.पी.20/के.सी.8190 (बजाज बॉक्सर) सुपुर्ददार धरमसिंह धुर्वे के हिफाजतनामे में है, जो उक्त वाहनों के रजिस्टर्ड स्वामी को वापस की जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट